

**न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर (म.प्र.)**

**आदेश**

कमांक / 129 / सी.जे.एम. / 24

जबलपुर, दिनांक- 30.01.2024

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03:00 बजे से 05:00 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। निम्न कॉलम में दर्शाये गए न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक पर अपने रटाफ सहित दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर सभी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उक्त दिनांक को प्रस्तुत किए जावेगे, निष्पादित करें :-

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक	क	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक
1	श्री मनीष कुमार सिंह	04.02.2024	4	श्री गूपेन्द्र सिंह	17.02.2024
2	श्रीमती सारिता जतारिया	11.02.2024	5	श्रीमती रश्मि मराठी	18.02.2024
3	श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय	14.02.2024	6	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	25.02.2024

**सिहोरा न्यायालय**

क	मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	सुश्री रेशमा खालून	14.02.2024 17.02.2024
2	सुश्री श्रुष्टि अग्निहोत्री	11.02.2024 18.02.2024
3	सुश्री उर्वशी यादव	04.02.2024 25.02.2024

**पाटन न्यायालय**

क	मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्री दशरथ सिंह भिडे	04.02.2024 14.02.2024
2	श्रीमती रीतिका शर्मा	11.02.2024 18.02.2024
3	श्री रवि कुमार साहू	17.02.2024 25.02.2024

1. यदि किसी कारणवश संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर नियत दिनांक को रिमाण्ड ड्रियूटी करने में असमर्थ रहते हैं और रिमांड ड्रियूटी आपसी सहमति से परिवर्तित करते हैं, तो दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित सूचना समय पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।
2. यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित उपरोक्त तिथि में सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर उसके स्थान पर अन्य अवकाश तिथि निर्धारित की जाती है तो जिस तिथि को न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्रियूटी थी वह न्यायिक मजिस्ट्रेट घोषित नवीन अवकाश तिथि पर रिमांड ड्रियूटी करेंगे।
3. यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित तिथि के अलावा अन्य सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित कॉलम नं. 02 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड कार्य निष्पादित करेंगे एवं कॉलम नं. 02 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर कॉलम नं. 03 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा कॉलम नं. 03 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने से कॉलम नं. 04 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड कार्य निष्पादित किया जावेगा-

// अनुसूची //

जिला न्यायालय- जबलपुर।

अवकाश	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी
01	02	03	04
प्रथम घोषित सार्वजनिक अवकाश	श्रीमती किरण मलिक	श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय	श्रीमती नेहा तोमर सिंह
द्वितीय घोषित सार्वजनिक अवकाश	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्रीमती रश्मि मरावी	श्रीमती किरण मलिक

तहसील न्यायालय-पाटन

अवकाश	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी
01	02	03	04
प्रथम घोषित सार्वजनिक अवकाश	श्रीमती रीतिका शर्मा	श्री दशरथ सिंह भिडे	श्री रवि साहू
द्वितीय घोषित सार्वजनिक अवकाश	श्री दशरथ सिंह भिडे	श्रीमती रीतिका शर्मा	श्री रवि साहू

तहसील न्यायालय- सिहोरा

अवकाश	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी
01	02	03	04
प्रथम घोषित सार्वजनिक अवकाश	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री रेशमा खातून	श्रीमती सृष्टि अग्निहोत्री
द्वितीय घोषित सार्वजनिक अवकाश	श्रीमती सृष्टि अग्निहोत्री	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री रेशमा खातून

4. उक्त सूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण या पदोन्नत हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दिनांक को रिमांड कार्य निष्पादित करेंगे एवं यदि किसी कारणवश दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय रिक्त हो जाती है या स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उस दिनांक का रिमांड कार्य उपरोक्त वर्णित अनुसूची के अनुसार प्रथम घोषित सार्वजनिक अवकाश में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एवं उनके अवकाश पर होने से द्वितीय घोषित सार्वजनिक अवकाश में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

5. रिमांड न्यायालय अपने न्यायालय की रिमाण्ड डियूटी जिस दिनांक को, की जानी है, उसकी सूचना अपने न्यायालय के रिमाण्ड पेनल सूची के अधिवक्ताओं को प्रदान करें।

(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर

प्रतिलिपि-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्री .....न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
- 3- अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर।
- 4- जिला नाजिर जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- जूनियर सिरस्टम एंनलिसिस जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर